

समाहरणलय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक.....

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज

मधेपुरा, दिनांक.....

विषय:-

अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न का विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।।

प्रसंग:-

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 8821 दिनांक 19.11.2015

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल-2015 से सितम्बर, 2015 तक छः माह के लिए आवंटित खाद्यान्न जिले को उपलब्ध करा देने संबंधी सूचना देते हुए अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव/वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न के विवरण के साथ अब बचे लाभार्थियों की वास्तविक संख्या की मांग की गई है।

विदित हो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7241 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल-2015 से सितम्बर, 2015 आवंटित खाद्यान्न को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1004 दिनांक 29.09.2015 द्वारा सभी प्रखंड को उपवांटित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव/वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न के विवरण के साथ अब बचे लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनिवार्य रूप से तथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि वांछित प्रतिवेदन सहायक विभाग को भेजा जा सकें।

अनुमंडल - पत्रांक 8821
24.11.15

विश्वासभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक..1055/आ0 मधेपुरा, दिनांक.24.11.15

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं ई-जेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणलय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

पत्रांक...1055

प्रेषक,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा/उदाकिशुनगंज

मधेपुरा, दिनांक...24.11.15

विषय:-

अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत खाद्यान्न के वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न का विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में।।

प्रसंग:-

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 8821 दिनांक 19.11.2015

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल-2015 से सितम्बर,2015 तक छः माह के लिए आवंटित खाद्यान्न जिले को उपलब्ध करा देने संबंधी सूचना देते हुए अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव/वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न के विवरण के साथ अब बचे लाभार्थियों की वास्तविक संख्या की मांग की गई है।

विदित हो कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7241 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत माह अप्रैल-2015 से सितम्बर,2015 आवंटित खाद्यान्न को इस कार्यालय के आदेश ज्ञापक 1004 दिनांक 29.09.2015 द्वारा सभी प्रखंड को उपवांटित किया जा चुका है।

अनुरोध है कि आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध उठाव/वितरण एवं अवशेष बचे खाद्यान्न के विवरण के साथ अब बचे लाभार्थियों की वास्तविक संख्या अनिवार्य रूप से यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि वांछित प्रतिवेदन समय विभाग को भेजा जा सकें।

अनुमंडल - पत्रांक 8821/14/15
दि. 19-11-15

विश्वसभाजन

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।

74851

105

वर्ग्य प्रभार पदाधिकारी
शाखा. मधोपुरा



बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र09-अ0यो0-10/2012- 8821

खाद्य. पटना/दिनांक- 19/11/15

एल0 पी0 रिह.
सरकार के संयुक्त सचिव।

जिला पदाधिकारी,
पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, बांका, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद,
शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण,
पश्चिमी चम्पारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सहरसा, मधोपुरा एवं
अररिया।

विषय :- अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न के वितरित एवं
अवशेष बचे खाद्यान्न का विवरण तथा लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध
करने के सम्बन्ध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य
खाद्य निगम ने अपने पत्रांक-13700 दिनांक 05.11.2015 के द्वारा अन्नपूर्णा
योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक छः माह के लिए आवंटित
खाद्यान्न को सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध कर देने की सूचना इस विभाग को दी
है। इस खाद्यान्न का लाभार्थियों के बीच वितरण कर दिया गया होगा।
अतएव अनुरोध है कि उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न के वितरित एवं
अवशेष बचे खाद्यान्न के विवरण के साथ अव बचे लाभार्थियों की वास्तविक संख्या
लौटती डाक से इस विभाग को उपलब्ध करने की कृपा की जाय ताकि अगले छ
माह का आवंटन निर्गत करने की ससमय कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

19/11/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक - प्र09-अ0यो0-10/2012- 8821
प्रतिलिपि - अपर जिला दफ्तराधिकारी (आपूर्ति), पटना, विशिष्ट पदाधिकारी,
अनुभाजन पटना तथा सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

1443
20.11.15